UPCH120000182005

न्यायालय– न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ, चित्रकूट
पीठासीन अधिकारी– एस. आनन्द (उ.प्र. न्यायिक सेवा)
दांडिक वाद संख्या– 227/2005

उत्तर प्रदेश राज्य

...............अभियोजन

बनाम

रामकेवल, पुत्र – जगरूप, निवासी– पयागीपुर, थाना कोतवाली– सुल्तानपुर, जनपद– सुल्तानपुर।

..................अभियुक्त

अपराध सं.– 23/2005
धारा– 279, 337, 338, 304–A, 427 भा.दं.सं.।
थाना– बरगढ़,
जनपद– चित्रकूट।

निर्णय
(आज दिनांक 12.03.2026 को घोषित)

परिवादी	उत्तर प्रदेश राज्य
द्वारा प्रत्यावेदित	श्री सिद्धार्थ सिंह, सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त	रामकेवल
प्रत्यावेदित	श्री के.के.सिंह, अधिवक्ता

अपराध का दिनांक	24.06.2005
प्रथम सूचना रिपोर्ट का दिनांक	24.06.2005
आरोप पत्र का दिनांक	08.08.2005
आरोप विरचित किए जाने का दिनांक	12.10.2018
साक्ष्य प्रारंभ होने का दिनांक	02.04.2019
निर्णय सुरक्षित किए जाने का दिनांक	26.02.2026
निर्णय का दिनांक	12.03.2026
दंडादेश देने का दिनांक, यदि कोई हो	N/A

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तार किए जाने/ न्यायिक अभिरक्षा का दिनांक	जमानत पर छोड़े जाने का दिनांक	आरोप की धाराएं	दोषमुक्ति अथवा दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	संहिता की धारा 428 के प्रयोजनार्थ विचारण की गई निरूद्धता की अवधि
1	रामकेवल	16.04.2018	17.04.18	279, 337, 338, 304–A, 427 भा०दं०सं०	दोषमुक्त	N/A	N/A

Digitally signed by ANAND SAHASRANAM
Date: 2026.03.13 10:50:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तथ्यों का विवरण

1. अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 24.06.2005 को समय लगभग 05.00 बजे सुबह, वादी मुकदमा परमानन्द सिंह डी.सी.एम. नंबर UP 42A 4781 में बैठकर लक्ष्मीपुर खंडेहा से इलाहाबाद की तरफ जा रहा था कि दूरभाष केन्द्र बरगढ़ के पास मुख्य राष्ट्रीय मार्ग पर ट्रक नं. UP 44E 4851, जो इलाहाबाद से मऊ की तरफ आ रही थी, के चालक ने गाड़ी को बेतहाशा तीव्र रफ्तार से चलाते हुए डी.सी.एम. को साइड में टक्कर मार दिया जिससे डी.सी.एम. पलट गई एवं डी.सी.एम. में बैठी सवारियों में बच्चापाल की मृत्यु हो गई एवं वादी स्वयं तथा डी.सी.एम. का ड्राइवर कल्लू, बनवारी तथा सुभाष पाल गंभीर रूप से घायल हो गए।

2. विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अपराध का संज्ञान 08.08.2005 को लिया गया और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 207 के अनुपालन में आरोप पत्र की प्रतियाँ एवं अन्य प्रासंगिक प्रपत्र अभियुक्त को उपलब्ध कराए गए। भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338, 304–A, 427 के अंतर्गत अपराध के संबंध में आरोप का सार दिनांक 12.10.2018 को अभियुक्त को बताया गया। अभियुक्त द्वारा निर्दोष होने का कथन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य

अभियोजन पक्ष

3. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित गवाहों को परीक्षित किया गया है:

क्र.सं.	नाम
पी.डब्लू. 1	परमानंद सिंह
पी.डब्लू. 2	अनिल सिंह
पी.डब्लू. 3	सुरेश बाबु त्रिपाठी
पी.डब्लू. 4	कल्लू
पी.डब्लू. 5	अखिलेश कुमार
पी.डब्लू. 6	एम्. सिद्दीकी, सेवा निवृत निरीक्षक

4. अभियोजन पक्ष द्वारा जिन प्रपत्रों पर बल दिया गया है वे निम्नवत है–

क्रम सं.	प्रदर्श सं.	विवरण
1	क–1	लिखित तहरीर
2	क–2	पोस्टमोर्टेम रिपोर्ट बच्चा लाल
3	क–2	पंचायतनामा मृतक बच्चा लाल
3	क–3	नक्शा नज़री
4	क–4	तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट ट्रक UP 44E 4851
5	क–5	तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट ट्रक UP 42A 4781
6	क–6	आरोप पत्र
7	क–7	प्रथम सूचना रिपोर्ट
8	क–8	नक़ल रपट

अभियुक्त की ओर से

5. दिनांक 02.04.2025 को अभियुक्त रामकेवल का बयान अंतर्गत धरा 313 सी.आर.पी.सी अंकित किया गया । अभियुक्त द्वारा आरोप का खंडन किया गया एवं

सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया गया। अभियुक्त द्वारा सफाई साक्ष्य में किसी को भी परीक्षित नहीं कराया गया है और न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

निर्धारण के लिए बिंदु

6. अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338, 304–A, 427 के अंतर्गत अपराध से आरोपित किया गया है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में निर्धारण के लिए यह बिंदु बनता है कि क्या अभियुक्त रामकेवल द्वारा कोई ऐसा कृत्य कारित किया गया है जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338, 304–A, 427 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है?

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क

7. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा यह कथन किया गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह युक्तियुक्त संदेह के परे साबित होता है कि अभियुक्त रामकेवल द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338, 304–A, 427 के अंतर्गत अपराध कारित किया गया है।

8. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष यह युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित करने में विफल रहा है कि अभियुक्त रामकेवल द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338, 304–A, 427 के अंतर्गत अपराध कारित किया गया है।

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

9. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा यह कथन किया गया है कि और बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

10. किसी आपराधिक मुकदमे में, अभियुक्त के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर होता है।

11. वर्तमान मामले में, अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338, 304–A, 427 के अंतर्गत आरोप विरचित किये गए हैं।

12. भारतीय दंड संहिता की धारा 279 में लोकमार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाने या हांकने के लिए दंड का प्रावधान है। उक्त धारा इस प्रकार है:

> **279.** लोकमार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकना.– जो कोई किसी लोकमार्ग पर ऐसे उतावलेपन से या उपेक्षा से कोई वाहन चलाएगा या सवार होकर हांकेगा जिससे मानव जीवन संकटाप्पन हो जाये, या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति होना संभाव्य हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हज़ार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

13. भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि:

(क) उतावलेपन और लापरवाही से किए गए कृत्य के रचयिता की पहचान;

(ख) अभियुक्त सार्वजनिक मार्ग पर वाहन चला रहा था या सवारी कर रहा था;

(ग) वाहन चलाना या सवारी करना इतनी उतावलेपन या लापरवाही से किया गया था कि मानव जीवन को खतरा हो या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या क्षति पहुँचने की संभावना हो।

14. भारतीय दंड संहिता की धारा 337 ऐसा कार्य द्वारा उपहति करने से सम्बंधित है जिससे कि दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाये। उक्त धारा इस प्रकार है–

337. ऐसे कार्य द्वारा उपहति करना, जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाये.– जो कोई ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करने द्वारा, जिसमें मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए, किसी व्यक्ति को उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

15. भारतीय दंड संहिता की धारा 337 के तहत अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि:

(क) अभियुक्त ने कोई कार्य किया है;

(ख) उसने यह कार्य उतावलेपन और लापरवाही से किया है;

(ग) यह कार्य ऐसा था जिससे अन्य लोगों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो सकता था।

16. भारतीय दंड संहिता की धारा 338 में ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए, से सम्बंधित है। उक्त धारा इस प्रकार है:

338. ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहति करना, जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाये.– जो कोई ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करने द्वारा, जिससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए, किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

17. भारतीय दंड संहिता की धारा 338 के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को धारा 337 के सभी तत्वों को सिद्ध करना होगा, सिवाय इसके कि चोट पहुंचाने के स्थान पर यह सिद्ध करना होगा कि किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाई गई है।

18. भारतीय दंड संहिता की धारा 304–A में उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए दंड का प्रावधान है। उक्त धारा इस प्रकार है:

> **304–A.** उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना.– जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

19. भारतीय दंड संहिता की धारा 304–ए के तहत अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि:

(क) अभियुक्त ने किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की है;

(ख) अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही या उतावलेपन के कारण मृत्यु हुई है;

(ग) ऐसी मृत्यु गैर इरादतन हत्या नहीं है।

20. भारतीय दंड संहिता की धारा 427 रिष्टि जिससे पचास रूपए का नुकसान होता है, से सम्बंधित है। उक्त धारा इस प्रकार है:

> **427.** रिष्टि जिससे पचास रुपये का नुक्सान होता है.– जो कोई रिष्टि करेगा और तद्द्वारा पचास रूपए या उससे अधिक रिष्टि की हानि या नुकसान कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

21. भारतीय दंड संहिता की धारा 427 के तहत अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि:

(i) अभियुक्त द्वारा रिष्टि कारित की गयी है;

(ii) उक्त रिष्टि से पचास रुपये या उससे अधिक की हानि या नुक्सान अभियुक्त द्वारा कारित किया गया है।

22. भारतीय दंड संहिता की धारा 425 में रिष्टि निम्नवत परिभाषित हैः

> 425. रिष्टि.– जो कोई इस आशय से, या यह संभाव्य जानते हुए कि, वह लोक को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुक्सान कारित करे, किसी संपत्ति का नाश या किसी संपत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली कारित करता है, जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, वह 'रिष्टि' करता है।
>
> स्पष्टीकरण 1– रिष्टि अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्ति के स्वामी को हानि या नुक्सान कारित करने का आशय रखे। यह पर्याप्त है कि उसका यह आशय है या वह यह संभाव्य जानता है कि वह किसी संपत्ति को क्षति करके किसी व्यक्ति को, चाहे वह संपत्ति उस व्यक्ति की हो या नहीं सदोष हानि या नुक्सान कारित करे।

स्पष्टीकरण 2– ऐसी संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले कार्य द्वारा, जो उस कार्य को करने वाले व्यक्ति की हो, या संयुक्त रूप से उस व्यक्ति की और अन्य व्यक्तियों की हो, रिष्टि की जा सकती है।

23. पुलिस को प्रेषित लिखित तहरीर, प्रदर्श क–1, में वादी परमानन्द सिंह ने यह कथन किया है कि–

"...प्रार्थी डी.सी.एम. नं. UP 42A 4781 में बैठकर लक्ष्मीपुर खंडेहां से इलाहाबाद की तरफ जा रहा था कि दूरभाष केंद्र बरगढ़ के पास मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक नं UP 44E 4851 जो इलाहाबाद से मऊ की तरफ आ रही थी। आज दिनांक 24.06.05 को समय लगभग 5 बजे सुबह गाडी को बेतहाशा तीव्र रफ़्तार से चलाता हुआ डी.सी.एम. को साइड टक्कर मार दिया जिससे डी.सी.एम. टक्कर खाकर पलट गयी तथा चालक कल्लू पुत्र ओम प्रकाश ग्राम उठ्गी तरहार थाना लालपुर जिला इलाहबाद सहित डी.सी.एम. में बैठे बनवारी पुत्र बासुदेव ग्राम उठ्गी तरहार तथा सुभाष पाल पुत्र पीताम्बर निवासी अर्जुनपुर खंडेह (हरदिहा) थाना मऊ चित्रकूट, गंभीर रूप से घायल हो गए तथा बच्चा पाल पुत्र पीताम्बर ग्राम अर्जुनपुर खंडेह (हरदिहा) की मृत्यु हो गयी है। ट्रक का चालक रामकेवल पुत्र जगरूप ग्राम पयागिपुर थाना कोतवाली सुल्तानपुर जिला सुल्तानपुर भी गंभीर रूप से घायल हो गया है।..."

24. अपनी मुख्य परीक्षा में परमानन्द, पी.डब्लू. 1, द्वारा यह कथन किया गया है कि–

"...घटना दिनांक 24.06.2005 की है। समय सुबह 05:00 बजे थे। घटनास्थल बरगढ़ के पास दूरभाष केन्द्र के राष्ट्रीय राजमार्ग की है। उस दिन मैं डी.सी.एम. में था। उस डी.सी.एम. में बच्चा पाल व सुभाष बैठकर इलाहाबाद जा रहे थे। जैसे ही डी.सी.एम. बरगढ़ दूरभाष केन्द्र के पास पहुंचा तो सामने से इलाहाबाद से मऊ की ओर आने वाला ट्रक जिसका नंबर UP 44E 4851 का ड्राइवर तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ आया और डी.सी.एम. में टक्कर मार दी, जिससे डी.सी.एम. पलट गई और बैठी हुई सवारी व चालक कल्लू व सवारी बनवारी, सुभाष गंभीर रूप से घायल हो गए। बच्चा पाल पुत्र पितांबर की मौके पर ही मृत्यु हो गई। ट्रक चालक रामकेवल भी गंभीर रूप से घायल हो गया था।..."

25. अपनी मुख्या परीक्षा में सुरेश बाबू त्रिपाठी, पी.डब्लू. 3, द्वारा यह कथन किया गया है कि–

"... दिनांक 24.06.2005 को दरोगा जी ने मृतक बच्चापाल की मृत्यु ट्रक व डी.सी.एम. के एक्सीडेंट से आई चोटों से हुई थी। उसका पंचनामा दरोगा जी ने उसके सामने भरा था। हम पंचों की राय थी कि मृतक की मृत्यु एक्सीडेंट से आई चोटों से हुई थी फिर भी शव का पंचनामा करा दिया था। पंचनामा पर मेरे हस्ताक्षर हैं, हस्ताक्षर की तस्दीक करता हूं, जिस पर पूर्व से प्रदर्श क–2 पड़ा है।... "

26. अपनी मुख्या परीक्षा में कल्लू, पी.डब्लू. 4, द्वारा यह कथन किया गया है कि–

"... घटना दिनांक 24.06.2005 सुबह पांच बजे का था। मैं डी.सी.एम. UP 42A 4781 का चालक था एवं कर्वी से इलाहाबाद जाने वाली रोड पर

खंडेहा से इलाहाबाद भूसा लादकर ले जा रहा था। गाड़ी में मेरे साथ बनवारीलाल, बच्चा, सुभाष पाल बैठे हुए थे। जब मेरी गाड़ी सुचेता कालोनी के पास दूरभाष केन्द्र के सामने पहुंची तो इलाहाबाद की ओर से आ रहे ट्रक सं. UP 44E 4857, जिसका चालक बहुत तेज एवं लापरवाही से गाड़ी चलाता हुआ आया और डी.सी.एम. के दाहिनी तरफ से जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर से बच्चालाल की मौके पर मृत्यु हो गई तथा मुझे एवं अन्य बैठे हुए लोगों को गाड़ी पलटने के कारण गंभीर चोटें आ गई।... "

27. अपनी मुख्या परीक्षा में अखिलेश कुमार, फार्मासिस्ट, पी.डब्लू. 5, द्वारा यह कथन किया गया है कि–

"... पी.एम. रजिस्टर के पेज नं. 55 के अनुसार पी.एम. सं. 156/2005 दिनांकित 24.06.2005, जिला अस्पताल से आए डॉ. ए.के. गुप्ता के द्वारा पोस्टमार्टम का निष्पादन किया गया था।...गवाह ने पत्रावली पर संलग्न पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर बताया कि रजिस्टर में की हुई प्रविष्टि के अनुसार यह पोस्टमार्टम डॉ. ए.के. गुप्ता द्वारा दिनांक 24.06.2005 को मृतक बच्चा पाल, जिसका शव कां. 231 रामदास के द्वारा लाया गया था, किया गया है। रजिस्टर की प्रविष्टि के अनुसार पुष्टि करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया।"

28. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रदर्श क–2, के अनुसार मृतक बच्चा पाल की मृत्यु का कारण निम्नवत है– "Death occurred due to shock cost by haemorrhage and injury to brain."। मृतक बच्चापाल की दुर्घटना में हुई मृत्यु के संबंध में पंचायतनामा, प्रदर्श क–2, सुरेश बाबू त्रिपाठी, पी0 डब्ल्यू0–3, द्वारा साबित किया गया है।

29. परमानन्द सिंह, पी.डब्ल्यू. 1, सुरेश बाबू त्रिपाठी, पी.डब्ल्यू. 3, कल्लू, पी.डब्ल्यू. 4, के साक्ष्य एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रदर्श क–2, तथा पंचायतनामा, प्रदर्श क–2, से अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित करने में सफल रहा है कि मृतक बच्चालाल की मृत्यु दिनांक 24.06.2005, को डी.सी.एम. नं. UP 42A 4781 व ट्रक नं UP 44E 4857 की बीच में टक्कर से हुई है। डी.सी.एम. में सवार अन्य सवारियों को गंभीर चोटें आई हैं।

30. पुलिस को प्रेषित लिखित तहरीर, प्रदर्श क–1, में वादी मुकदमा परमानन्द सिंह द्वारा अभियुक्त रामकेवल के ट्रक का चालक होने का कथन किया गया है एवं यह भी कथन किया गया है कि अभियुक्त भी दुर्घटना की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गया था।

31. अभियुक्त को जब न्यायालय द्वारा अपराध का सार बताया गया तब अभियुक्त रामकेवल द्वारा उक्त के झूठे होने का कथन किया गया है।

32. अपनी मुख्य परीक्षा में परमानन्द सिंह, पी.डब्ल्यू. 1, द्वारा यह कथन किया गया है कि ट्रक चालक रामकेवल भी गंभीर रूप से घायल हो गया था।

33. सेवानिवृत्त निरीक्षक एम. सिद्दकी, पी.डब्लू. 6, द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि दिनांक 27.06.2005 को अभियुक्त रामकेवल थाने आकर सरेंडर किया था व उसको हिरासत में लेकर उसके बयान अंकित किए गए थे।

34. अभियुक्त रामकेवल द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं., का.सं. 25 क, में यह कथन किया गया है कि मैं अपनी साइड में गाड़ी चला रहा था। मैंने कोई लापरवाही नहीं की है। डी.सी.एम. ने ही सामने से टक्कर मारी।

35. परमानन्द सिंह, पी.डब्ल्यू. 1, सेवानिवृत्त निरीक्षक एम. सिद्दकी, पी.डब्ल्यू. 6, एवं अभियुक्त रामकेवल के बयान अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं., का.सं. 25 क, से अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे ट्रक नं. UP 44E 4857 के चालक के रूप में अभियुक्त रामकेवल की पहचान साबित करने में सफल रहा है।

36. अब यह साबित किया जाना शेष है कि क्या बच्चा लाल की मृत्यु एवं डी.सी.एम. में बैठी अन्य सवारियों को आयी चोटें ट्रक के चालक—अभियुक्त रामकेवल—के लापरवाहीपूर्ण या उपेक्षापूर्ण कृत्य के कारण है।

37. Chamman Lal Vs. The State, AIR 1954 All 186, के प्रस्तर 6 में उतावलेपन और उपेक्षा को माननीय उच्च न्यायलय, इलाहाबाद द्वारा निम्नवत परिभाषित किया गया है:

> "6. It must be pointed out that rashness and negligence are not the same things. Mere negligence cannot be construed to mean rashness. There are degrees of negligence and rashness and in order to amount to criminal rashness or criminal negligence one must find that the rashness has been of such a degree as to amount to taking hazard knowing that the hazard was of such a degree that injury was most likely to be occasioned thereby. The criminality lies is running the risk of doing such an act with recklessness and indifference to the consequences. Criminal negligence is gross and culpable neglect, that is to say, a failure to exercise that care and failure to take that precaution which, having regard to the circumstances, it was the imperative duty of the individual to take. Culpable rashness is acting with consciousness that mischievous consequences are likely to follow although the individual hopes, even though he hopes sincerely, that such consequences may not follow. The criminality lies in not taking the precautions to prevent the happening of the consequences in the hope that they may not happen..."

38. State of H.P. v. Parmjit Singh, Latest HLJ 2012 (HP) 297, के प्रस्तर 11 में माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायलय द्वारा धरा 304-A व 279 भा.दं.सं. के अपराधों के सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष पर साक्ष्य के भार के सम्बन्ध में निम्नलिखित टिपण्णी की है-

> "11. In the instant case, accident stands admitted and it is also admitted that the accused was driver of the vehicle aforesaid. To prove the offences under Sections 279 and 304-A of the Penal Code, 1860 as alleged against the ac- cused, the prosecution is obliged to prove the rash or neg-

ligent act of driving by him, which was responsible for causing the death..."

39. वादी मुकदमा परमानन्द सिंह द्वारा पुलिस को प्रेषित लिखित तहरीर, प्रदर्श क–1, में यह कथन किया गया है कि डी.सी.एम. नं.. लक्ष्मीपुर खंडेहा से इलाहाबाद की तरफ जा रहा था जिसे कि दूरभाष केन्द्र बरगढ़ के पास मुख्य राष्ट्रीय मार्ग पर ट्रक नं. UP44E 4857, जो इलाहाबाद से मऊ की तरफ आ रहा था, **बेतहाशा तीव्र रफ्तार से चलाता हुआ** डी.सी.एम. को साइड से टक्कर मार दिया जिससे डी.सी.एम. पलट गई।

40. परमानन्द सिंह, पी.डब्ल्यू.1, ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि–

"... घटनास्थल बरगढ़ के पास दूरभाष केन्द्र के राष्ट्रीय राजमार्ग की है। उस दिन मैं डी.सी.एम. में था। उस डी.सी.एम. बच्चापाल व सुभाष बैठकर इलाहाबाद जा रहे थे। जैसे ही डी.सी.एम. बरगढ़ दूरभाष केन्द्र के पास पहुंचा तो सामने से इलाहाबाद से मऊ की ओर आने वाला ट्रक जिसका नं. UP44E 4857, ड्राइवर **तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ आया** और हमारी डी.सी.एम. में टक्कर मार दी, जिससे कि डी.सी.एम. पलट गई।... "

41. अपनी प्रतिपरीक्षा में परमानन्द सिंह, पी.डब्ल्यू.1, ने यह कथन किया है कि–

"... यह कहना गलत है कि जो घटना हुई है वह दोनों ड्राइवरों की लापरवाही से हुई है।... **ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से हुई है**। ... "

42. अनिल सिंह, पी.डब्ल्यू. 2, ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि–

"... दिनांक 24.06.05, को बरगढ़ दूरभाष केन्द्र के पास ट्रक व डी.सी.एम. के एक्सीडेंट की सूचना पर मैं भी मौके पर पहुंचा था। ...

43. अनिल सिंह, पी.डब्ल्यू. 2, ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि–

"... घटनास्थल पर मैं तीन घंटे बाद पहुंचा था। घटना की सूचना मुझे फोन द्वारा प्राप्त हुई थी ... घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और न ही मैंने घटना होते देखी है। ... "

44. कल्लू, पी.डब्ल्यू. 4, ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि–

"... जब मेरी गाड़ी सुचेता कालोनी के पास दूरभाष केन्द्र के सामने पहुंची तो इलाहाबाद की ओर से आ रहे ट्रक सं. UP44E 4857 जिसका चालक बहुत **तेज एवं लापरवाही से गाड़ी चलाता हुआ आया** और डी.सी.एम. के दाहिने तरफ से जोरदार टक्कर मार दी।

45. पुलिस को प्रेषित लिखित तहरीर, प्रदर्श क–1, में वादी मुकदमा परमानंद सिंह ने यह कथन किया है कि ट्रक ड्राईवर ने बेतहाशा तीव्र रफ्तार से चलाता हुआ डी.सी.एम. को साइड से टक्कर मार दिया। अपनी मुख्य परीक्षा में परमानन्द सिंह, पी.डब्लू. 1, ने यह कथन किया है कि ट्रक का चालक तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ आया और हमारी डी.सी.एम. में टक्कर मार दी। अपनी प्रति परीक्षा में परमानन्द सिंह, पी.डब्लू. 1, ने यह कथन किया है कि दुर्घटना ट्रक ड्राईवर की लापरवाही से हुई है। कल्लू, पी.डब्लू. 4, ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि ट्रक का चालक

बहुत तेज एवं लापरवाही से गाड़ी चलाता हुआ आया और डी.सी.एम. के दाहिने तरफ से जोरदार टक्कर मार दी।

46. इस सम्बन्ध में State of Karnataka Vs. Satish, (1998) 8 SCC 493, के प्रस्तर 4 में माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा निम्नलिखित टिपण्णी की गयी है–

> "4. Merely because the truck was being driven at a "high speed" does not bespeak of either "negligence" or "rashness" by itself. None of the witnesses examined by the prosecution could give any indication, even approximately, as to what they meant by "high speed". "High speed" is a relative term. It was for the prosecution to bring on record material to establish as to what it meant by "high speed" in the facts and circumstances of the case. In a criminal trial, the burden of providing everything essential to the establishment of the charge against an accused always rests on the prosecution and there is a presumption of innocence in favour of the accused until the contrary is proved...."

47. Bijuli Swain Vs. State of Orissa, 1981 Cri LJ 583, के प्रस्तर 8 में माननीय उड़ीसा उच्च न्यायलय ने निम्नलिखित टिपण्णी की है–

> "...In the criminal trial, the burden of establishing the charge against the accused rests on the prosecution and the standard of proving the same is always beyond all reasonable doubts. Criminality is never to be presumed subject to statutory exceptions, and criminal negligence or rashness should not be presumed in such a case merely on the application of the maxim res ipsa loquitur."

48. Bhupinder Sharma Vs. State of Himachal Pradesh, 2016 SCC OnLine HP 1762 के प्रस्तर 30 में माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायलय ने निम्नलिखित टिपण्णी की है–

> "30. ...Admittedly, in the present case one person has died due to the unfortunate incident but merely, because some person has died, it cannot be said that the accident was deliberate and due to rash and negligent driving..."

49. साक्षी परमानन्द सिंह, पी.डब्लू. 1 (चक्षुदर्शी साक्षी) एवं कल्लू, पी.डब्लू.2 (चक्षुदर्शी साक्षी) द्वारा महज़ यह कथन किया गया है कि ट्रक का डाइवर तेज़ी व लापरवाही से गाडी चला रहा था। किंतु अभियुक्त के उतावलेपन अथवा उपेक्षा को सिद्ध करने के लिए कोई भी सहायक परिस्थितियाँ अभियोजन पक्ष द्वारा सामने नहीं लाई गई हैं। केवल इस आधार पर कि गवाहों ने यह बयान दिया है कि ट्रक तेज़ रफ़्तार व लापरवाही से चलाई जा रही थी, अभियुक्त पर उतावलेपन या लापरवाही का आरोप सिद्ध नहीं होता जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा State of Karnataka Vs. Satish, (1998) 8 SCC 493 में प्रतिपादित किया गया है। इसी प्रकार, केवल इस आधार पर कि किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई है, अभियुक्त के विरुद्ध उतावलेपन या लापरवाही की धारणा नहीं की जा सकती; जैसा माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय

द्वारा Bhupinder Sharma Vs. State of Himachal Pradesh, 2016 SCC OnLine HP 1762 में निर्धारित किया गया है।

50. माननीय उच्च न्यायलय, इलाहबाद, द्वारा Imran Vs. State of U.P., 2019:AHC:1139, के प्रस्तर 15 व 16 में, साक्ष्य की सराहना पर निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:

> "15- This Court after scanning the evidence on record, has to adjudicate whether the prosecution has proved charges levelled against accused/appellant beyond reasonable doubt or not. Word 'proved' is defined under Section 3 of Evidence Act as under:-
>
> **"Proved**".-A fact is said to be proved when, after considering the matters before it, the Court either believes it to exist, or considers its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists."
>
> 16- The question is whether a prudent man under these circumstances can believe that the facts deposed by the witnesses do exist beyond reasonable doubt."

51. उपर्युक्त विश्लेषण के आलोक में, चूंकि गवाहों के मात्र इस बयान के अलावा कि बस तेज़ी से, लापरवाही से और असावधानी से चलाई जा रही थी, ऐसी कोई भी सहायक अथवा अन्य साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है जिससे यह साबित हो सके कि ट्रक वास्तव में उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण ढंग से चलाई जा रही थी; अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में, जिनकी चर्चा ऊपर की गई है, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन पक्ष यह युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असमर्थ रहा है कि रक का चालक, अभियुक्त रामकेवल, ट्रक चलाने में उतावलापन या उपेक्षा बरत रहा था जो कि भा.दं.सं. की धारा 304-A, 279, 337 और 338 के तहत दोषसिद्धि के लिए एक अनिवार्य शर्त (sine qua non) है, जिसके आवश्यक तत्वों की चर्चा निर्णय के पूर्व भाग में की जा चुकी है। इसी प्रकार क्योंकि यह युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं होता है कि अभियुक्त रामकेवल ने आशय से अथवा संभाव्य जानते हुए दुर्घटना कारित की गयी हो। परिणामस्वरूप, अभियुक्त रामकेवल भा.दं.सं. की धारा 304-A, 279, 337, 338 और 427 के तहत आरोपित अपराधों से बरी किए जाने का हकदार है। विचरण बिंदु तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

आदेश

52. अपराध संख्या 23/2005, अंतर्गत धारा 304-A, 279, 337, 338 एवं 427 भारतीय दंड संहिता, थाना बरगढ़, जनपद चित्रकूट के प्रकरण में अभियुक्त रामकेवल को धारा 304-A, 279, 337, 338 एवं 427 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

53. अभियुक्त जमानत पर है। दोषमुक्ति के परिणाम स्वरुप जमानत बंधपत्र निरस्त किया जाता है तथा जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

54. अभियुक्त द्वारा धारा 437–A दं.प्र.सं. के तहत 20,000/– रुपये का व्यक्तिगत बांध पत्र और सामान धनराशी की एक जमानत प्रस्तुत की गयी है, जो कि छह मास तक अस्तित्व में रहेंगी।

55. पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक: 12.03.2026

(एस आनन्द)
सिविल जज (जू.डि.)/
न्यायिक मजिस्ट्रेट
मऊ, चित्रकूट।
यूपी4878

56. यह निर्णय आज खुली अदालत में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर सुनाया गया है।

दिनांक: 12.03.2026

(एस आनन्द)
सिविल जज (जू.डि.)/
न्यायिक मजिस्ट्रेट
मऊ, चित्रकूट।
यूपी4878

अभियोजन/प्रतिवाद/न्यायालय साक्षियों की सूची

क– अभियोजन

क्र.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यादर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचनामा साक्षी, अन्य साक्षी)
पी.डब्लू. 1	परमानंद सिंह	चक्षुदर्शी साक्षी
पी.डब्लू. 2	अनिल सिंह	पंचायतनामा साक्षी
पी.डब्लू. 3	सुरेश बाबु त्रिपाठी	पंचायतनामा साक्षी
पी.डब्लू. 4	कल्लू	चक्षुदर्शी साक्षी
पी.डब्लू. 5	अखिलेश कुमार	चिकत्सीय साक्षी
पी.डब्लू. 6	एम्. सिद्दीकी, सेवा निवृत निरीक्षक	पुलिस साक्षी

ख– प्रतिवाद साक्षी, यदि कोई हो–

ग– न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो– कोई नहीं।

अभियोजन/प्रतिवाद पक्ष/न्यायालय प्रदर्शों की सूची

क– अभियोजन–

क्रम सं.	**प्रदर्श सं.**	**विवरण**
1	क–1	लिखित तहरीर
2	क–2	पोस्टमोर्टम रिपोर्ट बच्चा लाल
3	क–2	पंचायतनामा मृतक बच्चा लाल
3	क–3	नक्शा नज़री
4	क–4	तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट ट्रक UP 44E 4851
5	क–5	तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट ट्रक UP 42A 4781
6	क–6	आरोप पत्र
7	क–7	प्रथम सूचना रिपोर्ट
8	क–8	नक़ल रपट

ख– प्रतिवाद पक्ष– कोई नहीं।

ग– न्यायालय प्रदर्श– कोई नहीं।

घ– सारवान वस्तु– कोई नहीं।

दिनांक: 12.03.2026

(एस आनन्द)
सिविल जज (जू.डि.)/
न्यायिक मजिस्ट्रेट
मऊ, चित्रकूट।
यूपी4878